संरक्षित आवरण वाणिज्यिक बागवानी के लिए 56 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध

भारत सरकार का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रहा है।

बोर्ड वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मोड पर संरक्षित आवरण के तहत सब्सिडी दे रहा है। एन एच बी इस योजना के तहत फूलों और सब्ज़ियों की खेती के लिए कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 56 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रति परियोजना तक की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

परियोजनाओं के घटकों में 2,500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं के लिए रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन और मशीनीकरण आदि शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाएं वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और प्लास्टिक सुरंग और एंटी-बर्ड/हेल नेट आदि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रीनहाउस और शेड नेट हाउस के लिए विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री का चयन करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी संरचनाओं के निर्माण की लागत को कम करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है।

योग्य फ़सलें

फूल: एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, गुलाब, लिलियम, गुलदाउदी, कार्नेशन और जरबेरा

सब्ज़ियां: उच्च मूल्य वाली सब्ज़ियां शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर

सहायता का प्रतिरूप

ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक सुरंग, एंटी-बर्ड/हेल नेट और रोपण सामग्री की लागत आदि के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी में प्रति परियोजना की कुल लागत का 50% या 56 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित। इसका अर्थ है कि लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

तकनीकी मानक

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा परियोजना किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू) और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

योजना, पात्रता और लागत मानदंड के बारे में विवरण एन एच बी की वेबसाइट **http://www.nhb.gov.in** पर दिया गया है।